

* ई-मेल स्पीड
पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- मॉनसून, 2026 की तैयारी हेतु पटना शहर एवं आस-पास के क्षेत्रों (ग्रुप-12) से त्वरित जल निकासी हेतु विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन एवं संधारण हेतु कुल 01 वर्ष के लिए प्रशासनिक स्वीकृति राशि कुल ₹51,05,851.00/- (एकाबन लाख पांच हजार आठ सौ एकाबन रु०) मात्र की योजना के लिए देनदारी राशि में से तत्काल ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना के पत्रांक-32 दिनांक-03.01.2026 के द्वारा मॉनसून, 2026 में पटना शहर एवं आस-पास के क्षेत्रों के त्वरित जल निकासी हेतु स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन ग्रुप सं०-12 के संचालन एवं संधारण हेतु राशि ₹51,05,851.00/- (एकाबन लाख पांच हजार आठ सौ एकाबन रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में पटना शहर एवं आस-पास के क्षेत्रों (ग्रुप-12) से त्वरित जल निकासी हेतु विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन एवं संधारण हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-02 में अंकित योजना को कुल ₹51,05,851.00/- (एकाबन लाख पांच हजार आठ सौ एकाबन रु०) मात्र लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-904, दिनांक-18.03.2026 द्वारा प्रदान की गई है।

3. बुडको, पटना के पत्रांक-2099 दिनांक-25.07.2026 के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में तत्काल स्तम्भ-05 के अनुरूप **₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये)** मात्र के सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(रूपये लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकराशनामा की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Estimate for Annual Repair, Servicing Operation and Maintenance of Electro-Mechanical accessories of Chhajubagh DPS, CID Colony DPS & Shastri Nagar IPS Drainage Pumping Station for the year 2026-27 under Group-12	51.05851	27.80392	20.00	7.80392
	Total	51.05851	27.80392	20.00	7.80392

अर्थात् कुल स्वीकृत ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मात्र।

4. स्वीकृत ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको, के PL खाता सं०-PTSPLA006, HoA संख्या-00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
5. स्वीकृत कुल ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघुशीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0008-एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड-48-2217050010008, विषय शीर्ष-0008.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद से की जाएगी।
6. बिहार कोषागार संहिता के नियम-286 के आलोक में यथा बी0टी0सी0 फार्म संख्या-46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
7. विभागीय पत्रांक-06, दिनांक-07.01.2026 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में बुडको द्वारा योजना में प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार राशि का भुगतान योजना में कार्यरत एजेंसी को की जाएगी एवं भुगतान किये जाने वाले एजेंसी (संस्था) के बैंक खाता में भी कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। यदि योजना में किसी प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य जाँच एजेंसी द्वारा जाँच किया जा रहा है तो प्रत्येक भुगतान की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जाँच एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी।
8. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009- 9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृतिदेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

9. स्वीकृत राशि O & M के शर्त को ध्यान में रखते हुए वास्तविक व्यय के विरुद्ध की जायेगी तथा संबंधित को भुगतान वित्तीय नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं संविदा शर्तों के अनुरूप संप्रमाण किया जाएगा।
10. स्वीकृत राशि का व्यय केवल संबंधित योजना के क्रियान्वयन में ही किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व बुडको के संबंधित अभियंता संबंधित नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना की डुप्लिकेसी ना हो।
11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के Note#8 पृष्ठ सं०-17/टि० पर दिनांक-12.08.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#15 पृष्ठ सं०-21/टि० पर दिनांक-25.08.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-15/SWD-05-20/2026

157

/न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-01/09/26

प्रतिलिपि:—प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।